नगर विकास योजना का मूल्यांकन
गुवाहाटी

अगस्त, 2006

राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान

कोर 4 बी, भारत पर्यावास केन्द्र
लोधी रोड, नई दिल्ली 110003

किसी प्रकार की शंका होने पर कृपया सुश्री उषा रघुपति से ई मेल से सम्पर्क करें (email: uraghupathi@niua.org)

नगर विकास योजना का मूल्यांकनः गुवाहाटी

1. गुवाहाटी की नगर विकास योजना (सीडीपी) की पुनः रचना आवश्यक है।

आई.एल.एंड एफ.एस : (इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फायनेंसियल सर्विसेज़।

सीडीपी प्रस्तावित लाइनों पर पुनः बनाई गई है तथा"सेक्टरों पर स्थिति मूल्यांकन" का एक नया अध्याय 6 जोड़ा गया है - पृष्ठ - 39

2. पृष्ठ 13 पर तालिका 2 में संस्थाई दायित्व क्रम दिया गया है। तालिका में विभिन्न आधार-सुविधा और सेवाओं के लिए जिम्मेदार संस्थाओं का उल्लेख है और उसमें कहा गया है कि ...." जिम्मेदारी में अधिव्यापन (ओवरलैपिंग) है.......।" लेकिन उन विशिष्ट क्षेत्रों का उल्लेख नहीं किया गया है, जहाँ ये ओवरलैपिंग एजेंसिया कार्यकर रही है"। मिसाल के लिए जल आपूर्ति की जिम्मेदारी, लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी, वर्द्धित शहरी जल आपूर्ति व अपजल निकासी (ए यू डब्लू एस एस डी) और गुवाहाटी नगर निगम सभी पर है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि इन एजेंसियों का सेवा क्षेत्र कहाँ-कहाँ है क्योंकि वे सभी एक ही इलाकें में आपूर्ति करने वाले नहीं हो सकते।

आई.एल.एंड एफ.एस :

विभिन्न एजेंसियों के निर्धारित कार्य क्षेत्र हैं। उदाहरण के लिए जल आपूर्ति के क्षेत्र में जुटी एजेंसियां आपूर्ति कार्य के साथ-साथ जल शोधन संयत्र का संचालन और रखरखाव भी करती है। लेकिन इसका परिणाम यह है कि इन सभी सेवाओं के प्रदायन में कोई एक एजेंसी जिम्मेदार नहीं है। 74वें संशोधन के अनुसरण में गुवाहाटी नगर निगम को समूचे क्षेत्र में शहरी सेवाओं के लिए जिम्मेदार एकमात्र ऐजेंसी बनाने के उपाय किए जा रहे हैं। स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण पृष्ठ 8-9 के अध्याय में है। गुवाहाटी नगर निगम और मैट्रोपोलिटन विकास प्राधिकरण को छोड़कर अन्य संस्थाओं का कार्य दायरा पृष्ठ 157 पर अनुलग्नक 2 में दिया गया है।

3. गुवाहाटी शहर की आबादी, सन् 2001 की जनगणना के अनुसार, 8.09 लाख थी तथा 1991-2001 के दशक में वृद्धि दर 38.6% थी। आबादी की वृद्धि वर्ष 2011 तक 1.9 मिलियन और 2021 तक 1.7 मिलियन हो जाने की प्रायोजना की गई है। यह प्रायोजन जनगणना आंकड़ो के आधार पर किए गए हैं और उसके बाद आबादी के पूर्वानुमान घातांक सीरीज पर तैयार किए गए है। यह जानना रोचक होगा कि आबादी के पूर्वानुमान में घातांक सीरीज क्यों और कैसे उपयोगी है।

आई.एल.एंड एफ.एस :

इससे अतीत के रूझान पर आबादी का आकलन आसान हुआ है। बढ़ते हुए शहरीकरण के साथ आबादी की वृद्धि अतीत के रूझानों के अनुसार होना स्वाभाविक है। यह पद्धति इस रीज़न द्वारा मास्टर प्लान में भी अपनाई गई है(पृष्ठ 15 खंड 3.3)

पृष्ठ 19 पर खंड 3.3 में कहा गया है कि " गुवाहाटी मैट्रोपोलिटन अथारिटी रीजन अन्य क्षेत्र सम्मेलन, प्राकृतिक वृद्धि और आवासन जैसे अनेक कारकों के फलस्वरूप आबादी में औसत से अधिक वृद्धि का अनुभव कर रहा है"। लेकिन जनानकिकी पर चर्चा से जाहिर होता है कि जनसंख्या में वृद्धि इन्ही कारकों से हुई है। यहाँ तक की खंड 3.4, जो आवासन के बारे में है, में भी बाहर से आ बसने वालों की संख्या नहीं दी गई है। यह दी जाए (देखिए टूलकिट 2 की तालिका 2)।

आई.एल.एंड एफ.एस :

आवासन के बारे में विशिष्ट जानकारी के अभाव में आवासन संख्या लगभग 25% आंकी गई है, जो राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ चर्चा पर आधारित है (पृष्ठ 16 खंड 3.4)।

5. खंड 3.8 (श्रम शक्ति असंगति) तथा खंड 4.4 (श्रम शक्ति विभाजन) को एक साथ मिलाना ठीक होगा। क्योंकि ये दोनों श्रम शक्ति के बारे में हैं, भले ही दोनों खंडो के आंकड़ों का स्रोत अलग है। उसके बाद श्रम शक्ति के अंतर्गत श्रमिकों की संख्या के बारे में कोई विचार बनाना संभव होगा।

आई.एल.एंड एफ.एस :

दोनो खंडों को मिलाकर एक कर दिया गया है और अब जनगणना आंकड़ों का इस्तेमाल हो रहा है (पृष्ठ 21 खंड 3.8.1)।

6. सीडीपी में औपचारिक सेक्टर की जानकारी तो दी गई है लेकिन अनौपचारिक सेक्टर का उल्लेख नहीं है। यह दिया जाए।

आई.एल.एंड एफ.एस :

अनौपचारिक सैक्टर की जानकारी शामिल कर दी गई है। (खंड 4.4 पृष्ठ 30)।

7. सीडीपी में लक्ष्य और संबंधित उद्देश्य पृष्ठ 54 और 55 (खंड 7) पर दिए गए हैं। निम्नलिखित कथन" एकीकृत शहरी विकास" (लक्ष्य 3), " स्लम रहित शहर बनाना" और स्पष्ट किया जाए। संकल्पना विवरण या लक्ष्य विवेकसंगत, न्यायसंगत, प्राथमिकता क्रम में तथा शहर में मौजूदा स्थिति के साथ तार्किक व्याख्या के साथ बताए जाए।

आई.एल.एंड एफ.एस :

संबंधित सेक्टर अध्याय में संकल्पना विवरण स्पष्ट कर दिए गए हैं। लेकिन उर्पयुक्त संकल्पना विवरणों का खुलासा अब किया गया है (पृष्ठ 78-79) ।

8. शहर में हवा की गुणवत्ता तालिका 20 में है, लेकिन उसका तार्किक विश्लेषण नहीं है। वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों में नाइट्रोजन + ओक्साइड स्तर नहीं दिए गए हैं। तालिका 20

में क्षेत्रों की सूची के साथ-साथ सल्फर डाईआक्साइड (SO2), नाइट्रोजन डाइआक्साइड (NO2) और प्रदूषण करण (SPM) के संकेन्द्रण स्तरों का उल्लेख है। इन इलाकों का उनके उपयोग टाइप (यानी रिहायशी, वाणिज्य, औद्योगिक टाइप) के रूप में विभाजन नहीं है। उर्पयुक्त तालिका से कोई भी यह नतीजा निकाल सकता है कि शहर भर में SPM का स्तर निर्धारित मानकों से काफी अधिक है। यह भी उल्लेखनिय है कि SPM के उच्च स्तरों के मुख्य कारणों के रूप में वाहन प्रदूषण के साथ-साथ अपर्याप्त सड़कों और सड़कों की खस्ताहाल का भी उल्लेख किया गया है। एक अन्य कारण वृक्षों की अनाप-शनाप कटाई का हैं जिससे शहर के आसपास की पहाड़ियों से क्षरण हो रहा है। लेकिन SPM स्तर को कम करने के उपाय नहीं बताए गए हैं।

आई.एल.एंड एफ.एस :

संशोधित तालिकाएँ अनुलग्नक 3 के रूप में दी गई हैं।

9. भूक्षरण और पहाड़ी कटान बाबत खंड 6.3.4 में लिखा है कि "इन उपायों के लिए नियामक तंत्र और संचालन ढांचा कायम किया जाएगा"। इस कथन को स्पष्ट किया जाए।

आई.एल.एंड एफ.एस :

स्पष्टीकरण खण्ड 7.3.4, पृष्ठ 74-75 में है।

10. शहर के लिए आपदा प्रबंधन योजना एक महत्वपूर्ण जरूरत है। यह स्पष्ट नहीं है कि इस बारे में कोई व्यवस्था की गई है या की जा रही हैं। यदि हाँ, तो उसका सी डी पी में उल्लेख किया जाए।

आई.एल.एंड एफ.एस :

आपदा और उस पर कार्यवाही कि स्थिति का उल्लेख है, जिस हेतु समूचे पूर्वोत्तर के लिए विस्तृत आपदा प्रबंधन योजना तैयार की जा रही है (देखिए पृष्ठ 41, खंड 6.1.1)।

11. खंड 6.4.3 (वायु प्रदूषण), रिपोर्ट में लिखा है कि" एक शीघ्र अपनाया जाने वाला महत्वपूर्ण उपाय आर्थिक विधान के कड़े अनुपालन का है"। इसे स्पष्ट किया जाए।

आई.एल.एंड एफ.एस :

इसे खंड 7.3.3 (पृष्ठ 74) में स्पष्ट किया गया है।

12. जलाशयों के सौन्दर्यकरण बाबत सी डी पी के खंड 6.4.4 में लिखा है " गुवाहाटी के लिए जलाशयों के सौन्दर्यकरण की बजाय, विशेषतया इस बात को ध्यान में रखकर कि गुवाहाटी में सीवरेज़ प्रणाली नहीं है और अशोधित गंदा पानी जलाशयों में बहा दिया जाता है,

जलाशयों के पुनरूद्धार की जरूरत है। यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि सौन्दर्यकरण की क्या जरूरत है। यह वाक्याशः " पर्यावरण की सुरक्षता " भी स्पष्टीकरण चाहता है। नगरवासी जलाशयों का उपयोग मनोरंजन के लिए कैसे करते होंगे ? जलाशयों की जलभरण क्षमता बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं :- क्या इसका आशय भूजल से भरण करने का है ?

आई.एल.एंड एफ.एस :

स्पष्टीकरण खंड 7.3.5 में पृष्ठ 75 पर है।

13. जलाशयों के सौन्दर्यकरण के लिए कुल 100 करोड़ रूपये मांगें गए हैं। यह राशि किस प्रकार आकलित की गई है, इसको स्पष्ट किया जाए।

आई.एल.एंड एफ.एस :

स्पष्टीकरण पृष्ठ 76 और 145 पर दिया गया है।

14. गुवाहाटी के लिए वर्ष 2001 और 2025 के लिए भू-उपयोग पैटर्न तालिका 22 और 23 (पृष्ठ 56 और 58) में दिया गया है। क्षेत्रों के बारे में स्पष्ट व्याख्या नहीं दी गई है। कुछ श्रेणियों के बारे में स्पष्टीकरण जरूरी है " स्पेशल कैटेगरी गवर्नमैंट" से क्या मतलब है ? प्रत्येक वर्गीकरण के लक्षण भी स्पष्ट किए जाएं। पृष्ठ 57 पर भू-उपयोग नक्शा है कृपया बताया जाए कि क्या यह वर्तमान भू-उपयोग का नक्शा है ? यदि हाँ तो वर्ष का उल्लेख किया जाए। भावी भू-उपयोग पैटर्न के प्रायोजन का आधार भी बताया जाए। और उसे सी डी पी में दी गई नीतियों के संगत बनाया जाए।

आई.एल.एंड एफ.एस :

प्रश्नगत वर्ष 2025 है। इसका उल्लेख पृष्ठ 82 पर है।

15. सी डी पी से जाहिर होता है कि गुवाहाटी पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र का पर्यटन केन्द्र है। इसलिए उसके लिए एक एकीकृत पर्यटन योजना की जरूरत बनती है। यह बताया जाए कि क्या इस दिशा में कोई प्रयास किए जा रहे हैं। पृष्ठ 62 पर कहा गया है कि "लुक ईस्ट पोलिसी " । यह क्या पोलिसी है यह बताया जाए।

आई.एल.एंड एफ.एस :

"लुक ईस्ट पोलिसी " भारत सरकार ने ए एस ई ए एन देशो के साथ व्यवहार के लिए अपनाई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र इन देशों के भौगोलिक रूप से नजदीक है, इस क्षेत्र में कार्पोरेट हित में वृद्धि हुई है (पृष्ठ 44)

16. यह स्पष्ट नहीं है कि भू-जल का क्यों दोहन किया जाए जबकि जमीन के अन्दर कठोर चट्टानें होने से यह काफी मुश्किल काम है। गुवाहाटी शहर को तो पर्याप्त मात्रा में रात्री धरातल

पानी प्राप्त होता रहता है। तब सी डी पी में यह स्पष्ट किया जाए कि भू-जल निकासी के विकल्प को क्यों तलाशा जा रहा है। दोनों ही विकल्पों के तकनीकी, पर्यावर्णीय और आर्थिक-नफा-नुकसान भी बताए जाएँ।

आई.एल.एंड एफ.एस :

भूजल दोहन का विकल्प उन क्षेत्रों के लिए है जहाँ आर्थिक कारणों से जल वितरण नेटवर्क का संचालन कठिन हो सकता है। तथापि अब यह राय बनी है कि इस विकल्प को तकनीकी पर्यावरणी और आर्थिक नफा-नुकसान के विस्तृत मूल्यांकन के बाद ही अपनाने पर विचार किया जाए। धरातली जल का उपयोग ही पहली प्राथमिकता है और रहेगी। (पृष्ठ 91 जल स्रोतों का स्थायित्व)

17. पृष्ठ 73 पर तालिका 25 में जल आपूर्ति के सेवा स्तरों के कुछ संकेत दिए गए हैं लेकिन न तो इस तालिका से और न किसी अन्य उल्लेख से यह पता चलता है कि रोजाना कितने पानी की मात्रा सप्लाई की जाती है। जब तक पानी की वर्त्तमान आपूर्त्त मात्रा नहीं बताई जाती तब तक मांग और पूर्ति के बीच अंतर का पता नहीं चलेगा, क्योकि भविष्य के लिए पानी की मात्रा 80 मिलियन गैलन दैनिक बताई गई है।

आई.एल.एंड एफ.एस :

गुवाहाटी में तीन एजेन्सियों द्वारा दिए जा रहे पानी की मात्रा कुल स्थापित क्षमता (करीब 20 मिलियन गैलन दैनिक, के 30% अर्थात् करीब 6 मिलियन गैलन दैनिक है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि पानी की जरूरत का आकलन प्रायोजित आबादी तथा 150 लिटर प्रति व्यक्ति दैनिक आपूर्ति के आधार पर किया गया है। वर्त्तमान पानी सप्लाई तंत्र काफी पुराना है और उसे क्रमशः बदला जाना है। और इसलिए शहरी कायाकल्प अभियान की अवधि के दौरान इस तंत्र की जगह नई जल वितरण प्रणाली सुविधाएँ बिछाई जानी है। (पृष्ठ 90)

18. पृष्ठ 70-71 पर लिखा है कि जल शोधन संयंत्र केवल करीब 50 प्रतिशत की स्थापित क्षमता पर चल रहे हैं तथा वितरण के दौरान करीब 40 प्रतिशत पानी बर्बाद हो जाता है। इस स्थिति के लिये इन संयंत्रों के घटिया रख रखाव को जिम्मेदार बताया गया है और उसके सुधार के लिये पूंजी निवेश की तत्काल आवश्यकता बतायी गई है। पृष्ठ 76 पर पैरा 2 में लिखा है कि " जनसंख्या वृद्धि, वितरण दक्षता तथा आती-जाती आबादी को हिसाब में लेने पर, जलशोधन क्षमता 100 मि. गैलन दैनिक किये जाने की जरूरत है।" आती-जाती आबादी की संख्या सी.डी.पी. में नहीं दी गई है। जल शोधन संयंत्रों के लिये 100 मि. गैलन दैनिक की प्रस्तावित क्षमता का सही आकलन है या अधिक आकलन है, यह जानने के लिये आती-जाती आबादी की संख्या बताया जाना आवश्यक है ।

वर्तमान जनसंख्या रूझानों के आधार पर पानी की जरूरत 80 मि. गैलन दैनिक होगी । नगर निगम के अतीत में जल निकासी के अनुभव के आधार पर पानी की अतिरिक्त मांग 10 प्रतिशत होगी, जो 25 प्रतिशत आबादी के आते-जाते रहने के कारण होगी । वितरण के दौरान

पानी के क्षय को हिसाब में लेते हुए जल शोधन क्षमता 100 मि. गैलन दैनिक डिजाइन की गई है (पृष्ठ 92)

19. पृष्ठ 78 पर उपशीर्ष “विरचित सरकारी - गैर सरकारी भागीदारी (पी.पी.पी.) के अन्तर्गत यह कहा गया है कि इस सेक्टर में पी.पी.पी. फार्मेट के अन्तर्गत प्रायवेट सेक्टर की भागीदारी वांछनीय है.............”। इस कथन के स्रोत का सी.डी.पी. में उल्लेख किया जाए तथा यह भी बताया जाए कि परामर्शी बैठक में क्या इस मुद्दे पर विचार किया गया था और यदि हाँ तो हितबद्ध पक्षों की क्या प्रतिक्रिया थी ।

आई.एल.एंड एफ.एस :

इस विकल्प पर हितबद्ध पक्षों के साथ सभी बैठकों में विचार किया गया था और उसे स्वीकार किया गया था तथा राज्य स्तरीय नोडल कमेटी की बैठक, जिसमें अन्य के साथ असम के मुख्य मंत्री शामिल थे, में इसकी पुष्टि की गई थी (देखिये पृष्ठ 93-94)।

20. पृष्ठ 73 पर अंतिम पैरा में लागत वसूली के आंकड़ों में बताया गया है कि जल आपूर्ति पर वार्षिक खर्च करीब 10.8 करोड़ रू0 बैठता है और वसूली केवल करीब 80 लाख रू0 है, जो कुल खर्च के करीब 7.4 प्रतिशत बैठती है। लेकिन यह पता नहीं चलता कि ये किस वर्ष के आंकड़े हैं । जल उत्पादन की लागत, जल टैरिफ, प्राप्त आय-व्यय तथा जल की मांग और उगाही सहित पूरे आंकड़े दिये जाएं, जो कम से कम 3-4 वर्षों के हों ।

आई.एल.एंड एफ.एस :

जल लागत की वसूली अंशतः सम्पतिकर से तथा कतिपय क्षेत्रों से सीधे लेवी से होती है । ये आंकड़ें प्रचलित रूझानों के हैं तथा गुवाहाटी नगर निगम ने इनकी पुष्टि की है । अन्य वर्षों के ब्यौरे वित्तीय परिचालन योजना (एफ ओ पी) में हैं ।

21. पृष्ठ 78 पर खंड 10.5 में जल आपूर्ति सेक्टर की प्रस्तावित परियोजनाएँ तालिका के रूप में दी गई हैं । तालिका में लिखा है कि 1000 मि. गैलन दैनिक क्षमता के लिये नई सुविधाओं की जरूरत होगी । यह संख्या जल आपूर्ति खंड के विवरण के अनुसार 100 मि. गैलन दैनिक जल होनी चाहिए। आपूर्ति पर आधारित है तो इसे सही किया जाए । पानी की जरूरत का पुनः सही निर्धारण किया जाए । कुल 1000 करोड़ रू0 की मांग वाली परियोजनाओं के कुछ ब्यौरे भी बताए जाएँ । परियोजना विशिष्टियों के बिना सकल आंकड़ों को स्वीकार करना कठिन है ।

आई.एल.एंड एफ.एस :

वर्त्तमान संयंत्रों के लिये 100 मि. गैलन दैनिक क्षमता की नई सुविधा तथा क्षमता बनाए रखने का ही प्रस्ताव है । यथा अपेक्षित ब्यौरे स्कीमों (पृष्ठ 94) के अंतर्गत दिये गये हैं ।

22. पृष्ठ 80 पर, तालिका 26 के नीचे के विवरण में उल्लेख है कि भारत की जनगणना 2001 के अनुसार शहर में कुल परिवारों की संख्या 246947 है लेकिन तालिका 26 में दिये गये आंकड़ें इस संख्या से मेल नहीं खाते । इसे सही करें ।

आई.एल.एंड एफ.एस :

आंकड़े सही कर दिये गये हैं (देखिए पृष्ठ 49)

23. सार्वजनिक परिवहन, यातायात चालन, गति व भीड़भाड़ में सुधार के लिये सी.डी.पी. में द्रुतगामी जन परिवहन प्रणाली (एम आर टी एस) की जरूरत बतायी गई है । इसके लिये निवेश आवश्यकता में 10 करोड़ रू0 का प्रस्ताव है । जबकि एम आर टी एस प्रस्ताव स्वयं में 3000 करोड़ रू0 का है । सी डी पी में स्वीकृत परिवहन प्रणाली का तो उल्लेख है लेकिन उसमें उस मॉडल परिवहन प्रणाली का उल्लेख नहीं है। नयी परिवहन प्रणाली में भू-उपयोग और परिवहन योजना का भी समावेश होना चाहिये था तथा राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति की परिकल्पना के अनुसार जहाँ तक संभव हो, मोटर रहित परिवहन को प्राथमिकता दिये जाने का भी उल्लेख होना चाहिये था ।

आई.एल.एंड एफ.एस :

जैसा कि सी डी पी में उल्लेख है बहुमॉडल परिवहन प्रणाली का प्रस्ताव विस्तृत परियोजना, साध्यता अध्ययन तथा परियोजना विकास कार्रवाई करने के बाद ही किया जा सकता है। साथ ही इस प्रणाली के महत्व को भी स्वीकार किया जाना जरूरी है। सी डी पी में 10 करोड़ रू0 की राशि का प्रस्ताव परियोजना विकास के लिये है । परियोजना की वास्तविक लागत उसके घटकों तथा कार्यान्वयन अनुसूची का निर्धारण उपर्युक्त कार्रवाई पूरी होने पर किया जा सकता है। यह पुष्टि कर दी गई है कि नई परिवहन प्रणाली में भू-उपयोग और परिवहन योजना का समावेश किया जाएगा तथा राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति के परिकल्पना के अनुसार, गैर-मोटर परिवहन को यथा संभव प्राथमिकता दी जाएगी। (पृष्ठ - 103)

24. अपजल निकासी (ड्रेनेज़) के खंड 13 तथा बरसाती पानी की निकासी के खंड 15 को मिलाकर एक किया जाए । उन दोनों की समान समस्यायें होती हैं । इसके बाद ही अपजल की निकासी और बरसाती पानी की निकासी की परियोजनाओं को एकीकृत करके प्रस्ताव किया जाए । इन परियोजनाओं को जलाशयों की बहाली और सौंदर्यकरण तथा जल महाना विकास की परियोजनाओं से भी जोड़ा जाए ।

आई.एल.एंड एफ.एस :

बरसाती पानी की समस्या से निजात पाने के महत्व को देखते हुए ही, जो इस क्षेत्र का एक बड़ा मुद्दा है, इस पर अलग खंड का प्रस्ताव किया गया है । तथापि यथा सुझाव, इन परियोजनाओं को समेकित रूप से पेश किये जाने की दृष्टि से संबंधित खंडों (अध्यायों) को मिलाकर एक कर दिया गया है (देखें पृष्ठ 104) ।

25. खंड 16 में, इस उल्लेख के अलावा कि " ऐसा समझा जाता है कि गुवाहाटी नगर निगम क्षेत्र में 26 स्लम बस्तियाँ हैं, " जिनमें 1.6 लाख लोग रहते हैं । लेकिन यह नहीं बताया गया है कि गरीब लोग किन हालातों में रहते हैं । यह भी जानकारी नहीं दी गई है कि कितने स्लम परिवारों को विभिन्न सेवाएँ सुलभ हैं । चूंकि शहरी गरीबों के लिये परियोजनाएँ प्रस्तावित की जा रही हैं, तो उन परियोजनाओं को शुरू किये जाने के कारणों की कुछ जानकारी और उसका विश्लेषण होना चाहिये था, साथ ही 20 करोड़ रू0 की लागत के स्लम सुधार प्रस्ताव में यह भी बताया जाये कि इसमें किन पहलुओं को शामिल किया जाएगा तथा सेवा मुहैया कराने की लागत क्या होगी ।

आई.एल.एंड एफ.एस :

यथा संभव उपलब्ध आंकड़े दे दिये गये हैं । सी डी पी में प्रस्तावित घटकों को स्लमों का विकास सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक समझा गया है । यथा चर्चा अन्य अपेक्षत परिवर्तन कर दिये गये हैं (देखिये पृष्ठ 116) ।

26. शहर में रोजाना 373 टन कचरा उत्पन्न होता है, लेकिन उस बाबत पृष्ठ 122 की तालिका से यह जाहिर नहीं होता कि ये आंकड़े किस वर्ष के हैं ।

आई.एल.एंड एफ.एस :

आंकड़े वर्ष 2005 के हैं । इस बाबत नई तालिका पृष्ठ 70 पर है ।

27. पृष्ठ 121 पर, अंतिम पैरा में कहा गया है कि अनुलग्नक I में एक नक्शा दिया गया है जिसमें गुवाहाटी नगर निगम की सीमाएँ और सड़कें दी गई हैं । ये नक्शा सी डी पी में नहीं है । वह दिया जाए ।

आई.एल.एंड एफ.एस :

नक्शा उपलब्ध नहीं है, गलती से उल्लेख किया गया ।

28. सी डी पी में "शहरी कायाकल्प (अर्बन रिन्यूअल)" को पुनर्वास, संरक्षण और पुनर्विकास के रूप में माना गया है । लेकिन इस शीर्ष के अन्तर्गत सी डी पी में औद्योगिक पार्कों के निर्माण, थोकबाजारों के शहर के बाहर बसाने तथा नगर के सौंदर्यकरण का प्रस्ताव किया गया है । औद्योगिक पार्कों के निर्माण के लिये राष्ट्रीय शहरी कायाकल्प अभियान से धन नहीं दिया जा सकता। स्लमों को शहर के मध्यवर्ती विरासत क्षेत्रों, जिनका परिरक्षण आवश्यक है, से जब तक बाहर नहीं ले जाया जाता तब तक स्लमों का पुनर्वास शहरी गरीबों के लिये बुनियादी सेवाओं के अन्तर्गत एक कार्यनीति के रूप में प्रस्तावित किया जाना चाहिये था । नगर सौन्दर्यकरण की कुछ कार्यमदें पहले से ही अन्य सेक्टरों में समाहित हैं, अतः शहरी कायाकल्प के अन्तर्गत प्रस्तावित राशि (अर्थात 100 करोड़ रू0 की राशि) का पुनः निर्धारण जरूरी है ।

आई.एल.एंड एफ.एस :

उपर्युक्त सभी परियोजनाएँ क्षेत्र की भीड़भाड़ कम करने के लिये प्रस्तुत की गई हैं। इस नाते औद्योगिक पार्कों का निर्माण प्रस्ताव का हिस्सा नहीं है। लेकिन बुनियादी सेवा ढांचे का निर्माण आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना बाजारों, उद्योगों और स्लमों को शहर से बाहर कायम करना संभव नहीं होगा। प्रस्तावित धन की मांग घटाकर 70 करोड़ रू0 कर दी गई है (देखिए पृष्ठ 129)।

29. गुवाहाटी नगर निगम के वित्त स्रोत का सी डी पी में विश्लेषण नहीं है लेकिन तालिका 18 और तालिका 19 में क्रमशः गुवाहाटी के नगर निगम और मेट्रोपोलिटन विकास प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति दी गई है, जिसके बारे में कई प्रकार के स्पष्टीकरण आवश्यक हैं। उदाहरण के लिये तालिका 18 में निम्नलिखित स्पष्ट किया जाए :

- क्या तालिका में दी गई राशियाँ वास्तविक लेखाओं या बजट अनुमानों पर आधारित हैं?

आई.एल.एंड एफ.एस : वास्तविक लेखाओं पर आधारित हैं

- वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 के लिये भारी घाटा दिखाया गया है। यह स्पष्ट नहीं है कि इन घाटों की कैसे और कहाँ से भरपाई की गई?

  आई.एल.एंड एफ.एस : घाटे में अनुदान राशि नहीं जोड़ी गई है और घाटे की भरपाई सरकारी अनुदान से की गई है।
- वर्ष 2002-03 से 2003-04 के दौरान निजी स्रोतों से आय में एकाएक गिरावट दिखायी गई है। इसे कैसे स्पष्ट किया जा सकता है?

आई.एल.एंड एफ.एस : यह मूलतः चुंगीकर हटाये जाने के कारण है जिससे निगम की कुल आय में 33 प्रतिशत राजस्व प्राप्त होता था। इसे "मुख्य टिप्पणियों के सारांश" में स्पष्ट किया गया है।

- कर आय और गैर कर आय का ब्यौरा नहीं दिया गया है, उदाहरण के लिये आय के बड़े कर स्रोत तथा गैर कर स्रोत क्या हैं तथा विगत चार वर्षों के दौरान उनका क्या पैटर्न रहा, यह बताया जाए?

आई.एल.एंड एफ.एस : वर्ष 2004-05 की राजस्व आय का विवरण

	वास्तविक आय 2004-05 में
सम्पत्तिकर	908.51
शहरी अचल सम्पत्तिकर	84.82
बैंक में सावधि जमा	0
	31.14
अन्य कर	458.13
विवेकाधीन कर धारा 144(2) के तहत	48.69
सरकार से सुपुर्द कर धारा 184 के अन्तर्गत	702
उपजोड़	2233.29
सरकार से अनुदान	853.36
सम्पत्ति अंतरण पर शुल्क धारा 170 के अन्तर्गत	266.78
विशेष अधिनियम/नियमों के तहत फीस	55.04
जल विक्रय	26.15
आवेदन फीस	54.89
पेशगी व ऋणों पर ब्याज	0
बाजार व बूचड़खानों से आय	116.53
अन्य फीस/शुल्क	127.58
उपजोड़	1500.33
कुलजोड़	3733.62

- कर दायरा और प्रयोक्ता प्रभार ब्यौरे नहीं दिये गये हैं ।
- प्रत्येक सेवा बाबत आय-व्यय के ब्यौरे दिये जाएँ तथा लागत वसूली जानकारी भी दी जाए ।
- सम्पत्तिकर ढांचा तथा प्रत्येक सेवा जैसे जल आपूर्ति आदि बाबत टैरिफ ढांचा भी दिया जाए ।
- सम्पत्ति कर और अन्य प्रयोक्ता प्रभारों की मांग और वसूली का अनुपात नहीं दिया गया।
- राजस्व आय में सरकारी अनुदान और अन्य राजस्व अनुदानों का अंशदान 50 प्रतिशत है । किन्तु इन अनुदानों के ब्यौरे नहीं दिये गये हैं ।

30. शहरी स्थानीय निकायों के कार्यकलापों और वित्त के अलावा, खंड 5 के एक उपखंड (5.6, पृष्ठ 43) में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति और क्षमता स्रजन के लिये धन नियतन का उल्लेख है। स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के लिये जहाँ शहरी कायाकल्प अभियान के अन्तर्गत धन नहीं दिया जा सकता, वहीं क्षमता स्रजन के लिये धन नियतन का अंश अभियान में पहले से शामिल है ।

आई.एल.एंड एफ.एस :

राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान की अपेक्षानुसार प्रस्तुत वित्तीय परिचालन योजना नगर निवेश योजना खंड में दी गई है (देखिये पृष्ठ 147 पर खंड 21.4)। स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति और क्षमता

स्रजन बाबत निगम वित्तीय और परिचालन पुनर्विन्यास करना चाहता है । वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिये ऐसा करना आवश्यक है । इस बाबत स्पष्टीकरण पृष्ठ 38 पर खंड 5.6 में दिया गया है ।

31. पृष्ठ 149 पर दी गई निवेश आवश्यकता की तालिका में दो संशोधन जरूरी हैं । कचरा निपटान, व्यवस्था हेतु अपेक्षित निवेश की राशि तालिका में 90 करोड़ रू0 बताई गई है जबकि पृष्ठ 126 पर यह राशि 66 करोड़ रू0 दिखाई गई है । इसी प्रकार शहरी कायाकल्प हेतु निवेश की आवश्यकता पृष्ठ 149 की तालिका में 50 करोड़ रू0 दी गई है, जबकि पृष्ठ 135 पर 100 करोड़ रू0 बताई गई है । इनमें संशोधनों के साथ, कुल निवेश जरूरत 3200 करोड़ रू0 बनती है, 3174 करोड़ रू0 नहीं, जैसा कि पृष्ठ 149 में दावा किया गया है । ये संशोधन किये जाएं ।

आई.एल.एंड एफ.एस :

संशोधन पृष्ठ 144 पर हैं ।

निवेश जरूरतों की सारांश तालिका

सेक्टर	**परियाजनाएँ**	**लागत (करोड़ रू0)**
शहरी स्थानीय शासन	क्षमता स्रजन कार्यक्रम व स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति	30
पर्यावरण	जलाशयों का पुनर्निर्माण और सौदंर्यकरण	100
जलआपूर्ति	वैकल्पिक जल स्रोतों के लिये अध्ययन	2
	जल वितरण के मौजूदा नेटवर्क के दायरे का विस्तार 1000 मि. गैलन दैनिक जलापूर्ति हेतु नई सुविधाएँ व वर्तमान सुविधाओं में सुधार	1000
	परिचालन व अनुरक्षण फंड	60
	क्षमता स्रजन	10
	जल संचयन	5
	उपजोड़	1077
परिवहन	एकीकृत ट्रैफिक प्रबंध प्रणाली	200
	एकीकृत यातायात प्रणाली ▪ सड़क सुधार ▪ नए सड़कों परिपुलों का निर्माण एवं पुराने पुलों की मरम्मत ▪ लाजिस्टिक हब ▪ पार्किंग सुविधा ▪ शहरवर्ती बस व्यवस्था ▪ जी एन बी रोड के समानांतर	 319 100 50 60 32 40

	नया मार्ग ▪ रज्जु मार्ग परियोजना ▪ एम आर टी एस परियोजना विकास ▪ (साध्यतापूर्व अध्ययन, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, परियोजना विन्यास व माडलिंग)	 30 10
	उपजोड़	841
गंदे पानी की निकासी	एकीकृत प्रणाली	200
सफाई	एकीकृत सफाई व सीवरेज प्रणाली	301
	जागरूकता कार्यक्रम	5
	उपजोड़	306
बरसाती पानी	बरसाती पानी निकासी प्रणाली	200
गरीबों को बुनियादी सेवाएँ	समाज सदन	10
	स्वास्थ्य देखभाल व शिक्षा	40
	स्लम विकास कार्यक्रम	20
	परिचालन अनुरक्षण	10
	उपजोड़	80
कचरा निपटान व्यवस्था	एकीकृत कचरा निपटान व्यवस्था	60
	जागरूकता कार्यक्रम	6
	उपजोड़	66
जल मुहानों का विकास	जलमुहाना विकास	200
शहरी कायाकल्प अभियान	बाजार विस्थापन, स्लम विस्थापन, नगर सौंदर्यकरण आदि	100
	सकल जोड़	**3200**

32. प्रत्येक सेक्टर के अन्तर्गत प्रस्तावित परियोजनाओं के बारे में अनुमानित निवेश जरूरत सहित ब्यौरे दिये जाएँ । उदाहरण के लिये, जलसेक्टर में प्रस्तावित 1000 करोड़ रू0 की लागत का ब्यौरा दिया जाए । इस खंड को ब्यौरेवार बनाने के लिये पूर्व स्वीकृत कतिपय अन्य नगर विकास योजनाओं का अध्ययन किया जा सकता है ।

आई.एल.एंड.एफ.एस :

सभी परिवर्तन शामिल कर दिये गये हैं तथा ब्यौरे दे दिये गये हैं (देखिये पृष्ठ 144) ।

33. सेक्टरों का प्राथमिकता क्रम निर्धारित किया जाए ।

आई एल एंड एफ एस :

सेक्टरों का प्राथमिकता क्रम पृष्ठ 144, 143 व 146 पर खंड 21.3 में सेक्टर वार धन नियतन में दिया गया है ।

34. वित्तीय परिचालन योजना (एफ ओ पी) की व्यवस्था में केवल एक तालिका (पृष्ठ 151 पर) दी गई है । इस तालिका में कुछ भ्रांतियाँ हैं, जिन्हे दूर किया जाए; ये हैं :

- इस तालिका के वर्ष 2004-05 के आंकड़े तालिका 8 से मेल नहीं खाते ।
- अनुदानों पर निर्भरता वर्ष 2004-05 में 23 प्रतिशत से बढ़कर 2005-06 में 42 प्रतिशत तथा 2006-07 में 60 प्रतिशत दर्शायी गई है । यह स्पष्ट किया जाए कि आने वाले वर्षों में राज्य अनुदानों पर निर्भरता क्यों कर बढ़ेगी ।
- राजस्व/करों से आय 27 प्रतिशत की वार्षिक बढ़ोतरी की मान्यता पर प्रायोजित की गई है, जो संभव प्रतीत नहीं होती ।
- एफ.ओ.पी. तैयार करने और प्रयुक्त मान्यताओं का आधार स्पष्ट नहीं है ।
- एफ.ओ.पी. में भारी उतार-चढ़ाव दिखाए गए हैं, जिन्हे अपेक्षित ब्यौरों के अभाव में समझना मुश्किल है ।
- एफ.ओ.पी सेक्टर वार नहीं है ।
- वर्ष 2004-05 से 2005-06 के दौरान प्रशासनिक खर्चों में भारी वृद्धि दिखाई देती है, जिसे ब्यौरों के अभाव में नहीं समझा जा सकता ।

आई.एल.एंड.एफ.एस :

संशोधित एफ.ओ.पी. खंड 21.4 के अन्तर्गत पृष्ठ 147 से 150 पर दे दी गई है ।

35. सी.डी.पी. में निम्नलिखित के नक्शे भी लगाये जाएँ :

1. नगर में जलाशयों की स्थिति, प्राकृतिक जलधाराओं की स्थिति तथा जलभराव संभावित क्षेत्र
2. वायु प्रदूषण नमूनाकरण के स्थल
3. गुवाहाटी मैट्रोपालिटन एरिया में आरक्षित वनों की स्थिति और साथ ही उनका अतिक्रमण तथा शहर के चारों ओर क्षरित पहाड़ी ढलानों की स्थिति।
4. शहर में बरसाती पानी की निकासी का नेटवर्क।

आई.एल.एंड एफ.एस :

भू-उपयोग मानचित्र तालिका ए-4 में (पृष्ठ 81 पर) है । अन्य सूचना फिलहाल उपलब्ध नहीं है।

आई.एल.एंड एफ.एस. द्वारा प्रदत्त जवाब पर राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान की व्यापक टिप्पणी :

जहाँ आई एल एंड एफ एस ने सभी प्रकार की जाँच-टिप्पणियाँ कर दी हैं तथापि 2001-02 से 2004-05 के वर्षों के लिए गुवाहाटी नगर निगम की वित्त स्थिति, आय व्यय के विस्तृत ब्यौरों के साथ दी जानी आवश्यक है।

संशोधित सी डी पी, उपर्युक्त टिप्पणी के सिवाय, ज.ने.रा. शहरी कायाकल्प अभियान की टूलकिट नं. 2 के दिशा निर्देशों के अनुसार है। यह सी डी पी, आई एल एंड एफ एस के इस आश्वासन पर सशर्त्त अनुमोदन के साथ प्रस्तुत की जा रही है कि वर्ष 2001-02 से वर्ष 2004-05 तक के वित्तीय आंकड़े अतिशीघ्र निकट भविष्य में प्रस्तुत कर दिये जाएंगे।

हम यह भी रिकार्ड पर दर्शाना चाहते हैं कि सी डी पी मूल्यांकन नोट पर स्पष्टीकरण लेने की प्रक्रिया के दौरान, स्थानीय शासन (यानी गुवाहाटी नगर निगम) का कोई भी पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से हमारे सम्पर्क में नहीं आया। इससे जाहिर है कि सी डी पी तैयार करने की प्रक्रिया में गुवाहाटी नगर निगम पूर्णतः शामिल नहीं था।

गुवाहाटी नगर विकास योजना मूल्यांकन, जो राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान द्वारा अपने 1.9.2006 के पत्र द्वारा सही मान लिया गया है, के नोट के प्रसंग में सन् 2001-02 से 2004-05 हेतु वित्तीय आंकड़े :

(ए) गुवाहाटी नगर निगम द्वारा उगाही से आय (लाख रू0)

क्रम सं.	शीर्ष	2001-02	2002-03	2003-04
1.	सम्पत्तिकर	608.32	684.33	1110.54
2.	ट्रेड लाइसेंस फीस	247.96	268.80	529.44
3.	बाजार कर	77.52	95.27	119.50
4.	मंद चाल वाहन	11.36	13.36	36.93
5.	जुर्माना व अर्थदंड	25.17	32.57	45.01
6.	जल कर	24.11	32.22	46.79
7.	चुंगी द्वारा चेक गेट व पार्किंग	1102.69	1232.40	55.61
8.	अन्य	63.06	323.41	167.81
	जोड़ (ए)	**2160.19**	**2682.36**	**2111.63**

(बी) गैर योजना राजस्व के अन्तर्गत सरकार से प्राप्त अन्य सहायता अनुदान (लाख रू0)

क्रम सं.	शीर्ष	2001-02	2002-03	2003-04
1.	मनोरंजन कर में हिस्सा	591.70	570.00	518.00
2.	मोटर वाहन टैक्स	-	-	202.00
3.	स्टाम्प ड्यूटी पर अधिभार	50.00	-	175.00
4.	वेतन हेतु अनुदान	-	-	-
5.	अंशदायी भविष्यनिधि को ग्रांट	-	-	-
6.	स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु ग्रांट	-	-	-
7.	संपत्तिकर हेतु ग्रांट	-	-	-
8.	चुंगी द्वारों को बंद करने हेतु ग्रांट	-	-	-
	जोड़ (बी)	**641.70**	**570.00**	**895.00**

(सी) सरकार से प्राप्त अन्य विकास अनुदान (लाख रू0)

क्रम सं.	शीर्ष	2001-02	2002-03	2003-04
1.	एफ डी आर हेतु विशेष ग्रांट	57.27	35.84	-
2.	रा. स्लम सुधार योजना के तहत ग्रांट	-	39.96	41.58
3.	गाद कीचड़ निकालने की मशीनें खरीदने के लिए ग्रांट	-	164.84	-
4.	कामाख्या जल आपूर्ति स्कीम हेतु ग्रांट	-	300.00	-
5.	11वें वित्त आयोग के तहत ग्रांट	-	-	19.75
6.	सिटी इफ्रास्ट्रक्चर स्कीम हेतु ग्रांट	-	-	-
7.	जल आपूर्ति विस्तार स्कीम हेतु ग्राट	-	-	-
8.	कचरा निपटान व्यवस्था हेतु परामर्शी फीस हेतु ग्रांट	-	-	-
9.	फैंसी बाजार के विद्युतीकरण के लिये ग्रांट	-	-	-
	जोड़ (सी)	**57.27**	**540.64**	**61.33**
	समग्र जोड़ (ए+बी+सी)	**2859.16**	**3793.00**	**3067.96**

ह0
मुख्य लेखा व लेखा परीक्षा अधिकारी
गुवाहाटी नगर निगम, गुवाहाटी

गुवाहाटी नगर निगम का राजस्व व्यय (लाख रू0)

क्रम सं.	व्यय मदें	2001-02	2002-03	2003-04
1.	वेतन	1935.75	1950.76	2101.97
2.	यात्रा भत्ता	1.52	1.11	1.37
3.	अन्य प्रशासनिक व्यय	426.18	636.93	752.23
4.	सामान खरीद	36.76	24.52	49.18
5.	मरम्मत व अनुरक्षण	90.37	84.23	63.14
	जोड़	**2490.58**	**2697.55**	**2967.89**

राजस्व व्यय से भिन्न खर्च (लाख रू0)

क्रम सं.	खर्च मदें	2001-02	2002-03	2003-04
1.	अन्य विकास खर्च	160.51	233.56	432.76
2.	ऋण व पेशगी	13.00	-	-
3.	परिसम्पतियाँ	31.58	157.98	45.30
	जोड़	**205.09**	**391.54**	**478.06**